

फा. सं. 13-03/2023-24/3ए

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान
(यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय)
17-बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली-110016

27 जून, 2023

अधिसूचना


इस कार्यालय अधिसूचना संख्या 13-03/2023-24/जीए दिनांक 31.05.2023 की निरंतरता में निम्नलिखित समिति का पुनर्गठन किया गया है।

जेम पोर्टल या अन्य माध्यम से निविदा खोलना एवं मूल्यांकन समिति।

- i. प्रो. पी.के. मिश्र, निदेशक सीपीआरएचई
- ii. डॉ. अमित गौतम, सह-प्रोफेसर, विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग
- iii. डॉ. एस.के. मल्लिक, सहायक प्रोफेसर, शैक्षिक नीति विभाग
- iv. डॉ. वी.पी.एस राजू, सहायक प्रोफेसर, शैक्षिक वित्त विभाग
- v. डॉ. वी. सुचरिता, सहायक प्रोफेसर, शैक्षिक प्रशासन विभाग
- vi. अनुभाग अधिकारी/प्रभारी/सहायक, लेखा अनुभाग
- vii. अनुभाग अधिकारी/प्रभारी/सहायक, प्रशिक्षण कक्ष
- viii. अनुभाग अधिकारी/प्रभारी/सहायक, सामान्य प्रशासन

निविदा खोलने और मूल्यांकन के लिए सदस्यों की न्यूनतम अपेक्षित संख्या आठ सदस्यों में से कोई तीन या चार सदस्य होगी, जिससे कोरम पूरा होगा। उपलब्ध सदस्यों में से सबसे वरिष्ठ व्यक्ति समिति का अध्यक्ष होगा। सभी सदस्यों को 'तकनीकी मूल्यांकनकर्ता' के रूप में जीई पोर्टल पर पंजीकृत होना भी आवश्यक है। आईटी प्रमुख/विभागाध्यक्ष कृपया उनके पंजीकरण के लिए प्रक्रिया शुरू करें।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(डी. एस. ठाकुर)

प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी)

प्रति

समिति के समस्त सदस्य

प्रतिलिपि:

कुलपति के वरिष्ठ निजी सचिव-सूचनार्थ

कुलसचिव के निजी सहायक- सूचनार्थ

समस्त विभागाध्यक्ष

सभी संकाय सदस्य ईमेल द्वारा

प्रशासनिक अधिकारी/वित्त अधिकारी/उप-प्रकाशन अधिकारी/पुस्तकालय अधिकारी/प्रलेखन अधिकारी/हिन्दी संपादक/छात्रावास
वार्डन

समस्त अनुभाग अधिकारी/प्रभारी

सिस्टम एनालिस्ट- नीपा वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।